झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान.दुमका

<u>नामांकन सूचना</u>

निम्नांकित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में SCVT अन्तर्गत सितम्बर,2017 से प्रारम्भ होने वाले सत्र में प्रत्येक संस्थान के समक्ष अंकित व्यवसायों में प्रवेश के निमित इच्छुक महिला एवं पुरूष उम्मीदवारों से अनुसूची–"क" के अनुसार टंकित आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जरमुण्डी(दुमका)

क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम	यूनिट	स्वीकृत सीट	प्रशिक्षण अवधि
01	विद्युत	02 (दो)	32	दो वर्ष
02	फीटर	02 (दो)	32	दो वर्ष
03	डीजल मेकेनिक	02 (दो)	32	एक वर्ष
04	वेल्डर	02 (दो)	24	एक वर्ष

2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सरैयाहाट(दुमका)

क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम	यूनिट	स्वीकृत सीट	प्रशिक्षण अवधि
01	विद्युत	02 (दो)	32	दो वर्ष
02	फीटर	02 (दो)	32	दो वर्ष
03	डीजल मेकेनिक	02 (दो)	32	एक वर्ष
04	वेल्डर	02 (दो)	24	एक वर्ष

3. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुमका

क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम	यूनिट	स्वीकृत सीट	प्रशिक्षण अवधि
01	मेकेनिक जेनरल इलेक्ट्रोनिक्स	01 (एक)	16	दो वर्ष

1. प्रवेश पाने हेतु डी0जी0ई0टी0 द्वारा निर्धरित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है।
   (क) वेल्डर एवं सिविंग टेक्नोलॉजी व्यवसाय के लिए आठवां उत्तीर्ण।
   (ख) शेष व्यवसाय के लिए माध्यमिक/दसवां /समकक्ष पराक्षा में उत्तीर्ण (10+2+3 प्रणाली के आधार पर)
   (ग) नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रीक/मेरिट के आधार पर नियमानुसार नामांकन किया जाएगा।
2. आयु अर्हताः–
   (क) 01 जुलाई 2017 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्षके बीच होनी चाहिए।
   (ख) सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैनय कर्मियों के विधवाओंके मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष।
   आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वीं परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही बैध होगी। आठवां स्तर के व्यवसायों के लिए प्रधनाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि बैध होगी।
3. प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए।उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेंगें।
4. आवेदन पत्र के साथ पंजीयन शुल्क के रूप में 100/–(एक सौ) रूपये मात्र का पोस्टल ऑर्डर देना होगा, जो प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुमका के पदनाम से मुख्य डाकघर दुमका में भुगतेय होगा।किसी भी शर्त पर यह राशि नगद के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी तथा न ही लौटाई जाएगी। पोस्टल ऑर्डर एक माह के अन्दर का होना चाहिए।
5. प्रवेश के समय प्रशिक्षणार्थियों को 50/–(पचास) रूपये मात्र कौशन मनी के रूप में जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई सामान खो जाने या सामान को जानबुझ कर तोड़ दिये जाने पर उसकी कीमत कौशन मनी से काट ली जाएगी तथा अन्य उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तीर्ण होने के बाद एक वर्ष के अन्दर कौशन मनी वापस नहीं लेते हैं तो इसे जप्त कर लिया जाएगा और सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। संस्थान में प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृति मिल सकती है।
7. आरक्षण अर्हता :– (क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र संख्या –07/नीति/आरक्षण–06/2001 का0 5886/राँची दिनांक 21.09.2011 के अनुसार रहेगा।

(ख) मेरिट से चुने गए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा बल्कि खुली गुणा –गुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध माना जाएगा।

(ग) प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत सीटों के 30 प्रतिशत नामांकन सुपरन्युमरी हैं अर्थात कुल सीट = स्वीकृत सीट + स्वीकृत सीट का 30 प्रतिशत अतिरिक्त सीट

(घ) सुपरन्युमरी सीट का प्रत्येक व्यवसाय में एक–एक सीट दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए (किसी भी वर्ग के) आरक्षित है।

(ड़) बाकी बचे सुपरन्युमरी सीट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जाएँगे।

8. आवासीय अहर्ता :– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते है जो झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी है या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते है। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक– 14/स्थानीयता नीति 14–03/2016 का0 4650 दिनांक 02.06.2016(संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18.04.2016) में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

9. जाति आधारित अहर्ता :– नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। आरक्षित साटों का दावा करने वाले उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी(अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

10. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में केवल महिला उम्मीदवारों का ही नामांकन लिया जाएगा।

11. नामांकन में जिला की बाध्यता नहीं है। किसी भी जिला के उम्मीदवार किसी भी आई0 टी0 आई0 में नामांकन ले सकते हैं।

12. आवेदन पत्र एवं नामांकन हेतु दिशा–निर्देश **www.dumka.nic.in** से डाउनलोड कर या औ0 प्र0 संस्थान दुमका से प्राप्त किया जा सकता है।

13. आवेदन पत्र के साथ पोस्टल ऑर्डर तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित कागजातों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुमका – 814110 के पते पर दिनांक 15.07.2017 को संध्या 5.00 बजे तक निबंधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् तथा आधे–अधुरे भरे गए आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

16/06/17

(दीपक कच्छप)

प्राचार्य

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुमका

अनुसूची–"क"

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने हेतु आवेदन पत्र

आवेदक अपना पूर्ण हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम :– ....
2. उम्मीदवार का नाम(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :– ....
   (हिन्दी में) :– ....
3. (क) पिता का नाम :– ....
   (ख) अभिभावक का नाम :– ....
4. पिता /अभिभावक का पेशा :– ....
5. उम्मीदवार का पूरा पता :–
   (क) स्थायी पता :– ....
   थाना ....गृह जिला..............................पिन......................
   (ख) पत्राचार का पता :– ....
   थाना ....गृह जिला..............................पिन......................
   मोबाइल न0 ....
6. उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशन :–..............................
7. जन्म तिथि (प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ) :– ....
8. दिनांक 01 जुलाई 2017 को आयु :– ....
9. शैक्षणिक योग्यता :–
   (कृपया प्रवेशिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का बिवरण दें)

क्र0 सं0	परीक्षाका नाम	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	विद्यालय/ महाविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष (वार्षिक/पूरक)	श्रेणी	प्राप्तांक	कुल अंक	परीक्षा के विषय	अभ्युक्ति

नोट :– आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

10. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं?
    ....
11. क्या उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित हैं? ....
12. क्या उम्मीदवार दिव्यांग है? ....
13. पिता/अभिभावक की वार्षिक आय और परिवार के वयस्क एवं नाबालिक दोनों की अलग–अलग संख्या....
    ....
14. आवेदन पत्र के साथ आवेदक पंजीयन शुल्क (100/– रूपये मात्र) के रूप में संलग्न पोस्टल ऑर्डर (एक महीने के अन्दर का होना चाहिए) की संख्या, निर्गत होने की तिथि तथा राशि ....
15. अनुलग्नक की बिवरणी :– (1).............................. (2)..............................(3)..............................
    (4)..............................(5)..............................(6).............................. (7)..............................

मैं.. पिता का नाम ....प्रमाणित करता /करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई है एवं सही है।

आवेदन देने की तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :– (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित एवं वीरगति प्राप्त सैनिक के आश्रितों को अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त/जिला सोल्जर्स बोर्ड(जो संबंधित प्रमाण पत्र देने में सक्षम हों)से उक्त वर्ग के होने का प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

(2) दिव्यांगों को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फूल साईज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के ऑर्थो–पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/जिला असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जाएगी।